

प्रेस नोट - कोतवाली फतेहगढ़

दिनांक :-12.08.2025

कोतवाली फतेहगढ़ पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 203/2025 धारा
232/115(2)/140(2)/308(5)/351(3) बी.एन.एस. से सम्बन्धित
नामजद/वांछित अभियुक्तगणों को किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री हरीश चन्दर के कुशल पर्यवेक्षण, पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्रीमती आरती सिंह के मार्गदर्शन, अपर पुलिस अधीक्षक डा0 संजय सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर ऐश्वर्या उपाध्याय के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में कोतवाली फतेहगढ़ पुलिस टीम द्वारा कोतवाली फतेहगढ़ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 203/2025 धारा 232/115(2)/140(2)/308(5)/351(3)बी.एन.एस. से सम्बन्धित नामजद/वांछित अभियुक्तगण 01. श्रवण कुमार शुक्ला उर्फ छोटे पुत्र स्व0 वीरेन्द्र नाथ शुक्ला निवासी ग्राम भुडिया भेड़ा पोस्ट अलीगढ़ थाना राजेपुर जनपद फतेहगढ़ हाल निवासी गंगानगर कालोनी कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़ 02. प्रीती सिंह यादव पत्नी देवेन्द्र सिंह यादव निवासी भुडिया भेड़ा थाना राजेपुर जनपद फतेहगढ़ हाल निवासी ग्राम रविदासनगर रोहिला कोतवाली मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़ को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. श्रवण कुमार शुक्ला उर्फ छोटे पुत्र स्व0 वीरेन्द्र नाथ शुक्ला निवासी ग्राम भुडिया भेड़ा पोस्ट अलीगढ़ थाना राजेपुर जनपद फतेहगढ़ हाल निवासी गंगा नगर कालोनी थान कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़।
2. प्रीती सिंह यादव पत्नी देवेन्द्र सिंह यादव निवासी भुडिया भेड़ा थाना राजेपुर जनपद फतेहगढ़ हाल निवासी ग्राम रविदासनगर रोहिला कोतवाली मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़।

घटना का विवरण:- दिनांक 11.08.2025 को अभियुक्तगण द्वारा मुकदमा वादी को धमकी देकर मिथ्या साक्ष्य देने व अपहरण कर मारपीट करने व रंगदारी मांगने व शिकायत करने पर जाने से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में वादी राहुल परमार पुत्र स्व भंवर पाल सिंह निवासी शिवाजी कालोनी मसैनी फतेहगढ़ द्वारा प्रा0 पत्र दिया गया। प्रार्थना पत्र के आधार पर दिनांक 12.08.2025 को कोतवाली फतेहगढ़ पर मु0अ0सं0 203/2025 धारा 232/115(2)/140(2)/308(5)/351(3) बी.एन.एस. बनाम श्रवण कुमार शुक्ला आदि पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में अभियुक्त श्रवण कुमार शुक्ला उर्फ छोटे उपरोक्त व अभियुक्ता प्रीती सिंह यादव पत्नी देवेन्द्र सिंह यादव उपरोक्त को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- अभियुक्तगण ने पूछताछ पर बताया कि हमने राहुल परमार को डरा धमकाकर व मारपीट कर मुकदमे में समझौता पर हस्ताक्षर कराकर कोर्ट में दाखिल किया था। शेष सफाई अपने वकील के माध्यम से माननीय न्यायालय में देना बताया।

अभियुक्त श्रवण कुमार शुक्ला उर्फ छोटे उपरोक्त का आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 125/2011 धारा 120बी/147148/323/324/325/504/506 भादवि थाना राजेपुर जनपद फतेहगढ़
2. मु0अ0सं0 1101/2004 धारा 304 भादवि कोतवाली फरूखाबाद जनपद फतेहगढ़।
3. मु0अ0सं0 203/2025 धारा 232/115(2)/140(2)/308(5)/351(3) बी.एन.एस. को0 फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़

अभियुक्ता प्रीती सिंह यादव उपरोक्त का आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 203/2025 धारा 232/115(2)/140(2)/308(5)/351(3) बी.एन.एस. कोतवाली फतेहगढ़।

गिरफ्तार/बरामद करने वाली कोतवाली फतेहगढ़ पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक रणविजय सिंह
2. निरीक्षक सुदेश कुमार
3. उ0नि0 बलवीर सिंह
4. उ0नि0 रक्षा सिंह
5. उ0नि0 अनवीर सिंह
6. हे0का0 विजेन्द्र सिंह
7. का0 सचिन कुमार
8. का0 सोनवीर
9. म0का0 करीना

मीडिया सेल फतेहगढ़।

थाना राजेपुर

दि०-12.08.2025

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्तगण 1.नक्षत्रपाल पुत्र रामेश्वर 2.वीपी पुत्र आशाराम 3.दल सिंह पुत्र आशाराम, 4.अर्चित पुत्र दाताराम निवासीगण भुडिया भेडा थाना राजेपुर जनपद फतेहगढ़ मु०अ०स 101/2018 वाद संख्या 115/2018 धारा 302/34 भादवि० थाना राजेपुर जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्तगण के विरुद्ध मा० न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार/कोर्ट मोहरीर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 12.08.2025 को मा० न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायालय फर्रुखाबाद द्वारा अभियुक्तगण को दोषसिद्ध कर प्रत्येक को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व प्रत्येक को 10-10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



डीजीसी - श्री सुदेश प्रताप गंगवार



एडीजीसी - श्री पंकज कटियार



को०मो० का० जसवीर सिंह



पैरोकार का० संजीव कुमार